

पाधिकार से प्रकासित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई विस्ती, गनिवार, मई 8, 1993/वैशाखा 18, 1915 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8, 1993/VAISAKHA 18, 1915

इस चागम चिन्न पृष्ठ संख्यादी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के कप में रखा जा सके

Scparate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—वण्ड 3—उप-वण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) ब्रीर केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए थ्रीर जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मितित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अ**प्रै**ल, 1993

सा. का. नि. 223:—-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय में पुस्तका-तय सूचना सहायक के पद पर भर्ती को पद्धित का विनिःसन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रयात्:—-

- ा संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मन्त्रालय पुस्तकालय सूचना सहायक समूह "ध" पद भर्ती नियम, 1991 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :──पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ ७ में विनिद्धिट हैं।
- 3. भर्ती को पढ़ित, श्रायु-मोमा, श्रहीशएँ आदि :-- उक्त पर पर भर्ती को पढ़ित, श्रायु-तोमा, श्रहीशएँ और उतसे संबंधित श्रन्य बातें वे होंगा जो उक्त श्रनसूची के स्तम्म 5 से स्तम्भ 14 में विनिष्टण्ट हैं।
 - 4. निरहंता :--वह व्यक्ति :--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पि या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

11

(i) जिन्होंने 1400-2300/2600 र. या समतुल्य वेतनमान बाले पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है।

या

- (ii) जिन्होंने 1200-2040 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 10 वर्ष नियमित सेवा की है, और
- (ख) जिसके पास सरकार की राज-भाषा नीति से सुसंगत हिन्दी में टिप्पण प्रारुपण और स्थिति पत्न तैयार करने का 2 वर्ष का ध्रनुभव हो ।

(प्रितिनियुक्ति की धवधि, जिसके घन्तगंत केन्द्रीय सरकार के उसी या
किसी घन्य संगठन/विभाग में इस
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी
घन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की धवधि है, साधारणसया
तीन वर्ष से धधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत भ्रष्ट्यकालिक संविदा भी है)/ स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम भायु सीमा भावेदन प्राप्त करने की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सं. भाई. 20012/4/91-समिति-6]

साहिब राम बतरा, भ्रत्रर सचित्र (प्रकार.)

(Committee of Parliament on Official Language)

New Delhi, the 22nd April, 1993

G.S.R. 224.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A' and 'B' posts in the Committee of Parliament on Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay— The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

- 4. Disqualification—No person—
 - (a) who has entered into or contracted a marrie a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living has entered into contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

		SCHED	O LIL				
Name of post.	No. of posts.	eren, agranitore d a especialiste como esta actiona ag	Classification	arva turkusi dilikungisi-dad	Scale of p	ay	por anna er agagine er adecum
1	2		The state of the s			4	
1. Senior Research Officer.							
Whether selection post or non-selec	ction post. A	ge limit for	direct recruits	of serv	er benefit o ice admissi ne C.C.S. (E	ble un	der rule
5			6		7		
Not applicable.	N	ot applica	ble.	Not a	applicable.		
Educational and other qualifica- tions required for direct recruits.	Whether age a tional qualification of promotees.	ations pres- ect recruits the case of	Period of probati any	on if	Method of by direct by promot tation/tracentage o to be fille methods.	recruits tion or nsfer a f the v	ment or by deputed and per- acancies
8	9		10			11	
Not applicable.	Not applicable		Not applicable.		By transfer	on de	putation
In case of recruitment by promotion transfer, grades from which promotation/transfer to be made.	tion/deputa-	If a DPC composit	exists, what is its ion.	is to	stances in vibe consult	which ed in	U.P.S.C making
12			13	-	American control control control	1	4
Transfer on deputation: Officers of the Central Government (a) (i) holding analogous posts on or. (ii) with 8 year's regular service in p	a regular basis	ot applica	ble.		nsultation	with	UPSC
scale of Rs. 2000—3500 or equand (b) possessing the following educa cation and experiences: Essential: (i) Master's Degree of a recognise or equivalent in Hindi with En	uivalent; tional qualifi-						
at the degree level. OR Mastre's degree of a recognised	6		i e e e	······································	¥		

Tran

(a)

12

(b) possessing the following educational qualification and experiences:

Essential:

(i) Master's Degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as subject at the degree level.

OR

Master's Degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level.

OR

Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level.

OR

Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as subject at the Degree level.

OR

Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the Degree level.

- (ii) 5 years' experience relating to development and implementation of the official language. Policy of the Government.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall not be exceeding 56 years on the closing date of receipt of applications

as on the closing	date of receipt o	applications		The second secon		
1	2	3	4	5	6	7
2. Under Secretary	2* (1993) *Subject to va- riation depend- ent on work- load.	Central Ser-	3500-125-4580	Not applica	able Not applicable No	of applicable
8		9		10		11
Not applicable.	No	ot applicable	Not a	applicable	By transfer of	on deputation

739 मारत का राज्यात : सई 8 1993/वैशास 18 1915 12 14 13 Consultation with the UPSC is Transfer on deputation : Not applicable (a) Officer of the Central Government: necessary (i) holding analogous posts on regular basis. OR (ii) with five year's regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; OR (iii) with eight year's regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; b) (i) possessing proficiency in Hindi and English (both written and oral). (ii) having five years' experience relating to implementation of Official Language Policy of the Union. (iii) having aptitude for field work. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt application. 3 2 4 General Central Service, 1* (1993) Rs. 2000-60-2300-EB-75-3. Research Officer Group 'G' Gazetted *Subject to varidtion 3200-100-3500 Ministerial dependent on workload. 6 5 7 Not applicable. Not applicable. Not applicable.

9

Not applicable.

8

Not applicable

10

Not applicable.

11

By transfer on deputation

The state of the s	12		13		[PART II—SEC. 3(1)]
Transfer on deputation Officers under the Cer	itral Governmen	nt	applicable.	Cosultation of lie Service Co	with the Union Pub- mmission not necessary
(a) (i) holding analog OR	ous posts on a	regular basis;			not necessary
(ii) with 3 years regular scale of Rs. 1640-2	ar service in post	s in the			
cations and exper	lowing advantia	nal qualifi-			
Essential:					
(i) Master's degree of equivalent in Hind at the degree leve OR	i with English as L	s a subject.			`~ ,
Master's Degree of or equivalent in an English subjects a	y subject with I s at the degree I OR	Hindi and level.			
Master's Degree of a equivalent in any and English as a OR	subject with His	ndi madium			
Master's Degree of a equivalent in any and English as a	subject with Hi subject at the de OR	ndi medium egree level.			
Master' Degree from equivalent in any and Hindi as a su	subject with E	nglish medium			
(ii) 3 year's experient and implementat of the Government	ion of Official I	ne development Language Policy			
Period of deputation	including perio	d of deputa-			
tion in another e preceding this ap					
some other organ	nisation/departn	nent of the.			7
exceed three yea					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The maximum age I fer on deputation tract)/transfer sha as on the closing	i (including should not be exceed	rt term con - ling 56 years'			
1	2 3	4	5	6	7
4. Hindi 1* Officer (1993)	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Rs. 2000-60- 2300-EB- 75-3200 100-3500	Not applicable	Not applicable	Not applicable
*Subject to variation dependent on wo	O				

9

Not applicable.

10

Not applicable.

11

By transfer on deputation

8

Not applicable.

13

14

Transfer on deputation:

Officers under the Central Government-

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis;

Or

- (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or
- (iii) with 8 year's regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and
- (b) possessing the following educational qualification and experience.

Essential:

(i) Master's Degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level.

Master's Degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the Degree level.

OR

Master's Degree of a recognised University equivalent in any subject with Hindi and English as subject at the degree level.

OR

Master's Degree of a recognised University equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level.

- Master's Degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level.
- (ii) 3 year's experience of preparing and examining documents relating to the implementation of the Official Language Policy of the Government, with indepth knowledge, thereof.
- (Period of deputation including period of depu tation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not ex ceed three years.

The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall not be exceeding 56 year's as on the closing date of receipt of application. Not applicable.

Consultation with the UPSC not necessary.

5* 1(993)

*Subject to variation dependent on workload.

2

General Central Service Group 'B' Non-Gazetted.

3

Rs. 1640-60-2300-EB-75-2900

1

5. Researh Assistant

954 GI/93-3.

Not applicable.

12

13

14

Transfer on deputation:

- (a) Officers of the Central Government—
- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with 3 years' regular service in post in the scale of Rs. 1640-2600 or equivalent; or
- (iii) with 8 year's regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2600 or equivalent.
- (b) (i) having proficiency in Hindi and English (both written and oral).
- (ii) possessing 3 yaars' experience of Administration, Accounts and Establishment work in a supervisory capacity in a Government Office or a commercial Organisation of repute.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/transfer shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

Consultation with the UPSC not necessary.

[No. I-20012/4/91-Samiti-6]

SAHIB RAM BATRA, Under Secy. (Admn.)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 ग्रप्रैल, 1993

सा का नि. 225.—संविधान के ग्रनुच्छेद 148 की धारा (5) के साथ पठित च्नुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रथीत् :--

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) प्रथम संशोधन नियमावली, 1993 होगा।
 - (2) इन्हें 26 जनवरी, 1991 से प्रवृत्त हुम्रा समझा जाएगा।
- 2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 39घ में ''यदि ऐसा अतर्लयन सरकार द्वारा लोक हित में घोषित किया गया है'', शब्दों को विलोपित किया जाएगा।

[संख्या 13026/2/90-स्था. (छुट्टी)] बी. गंगर, ग्रवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 26, 39, 43 तथा 54 के प्रावधानों को युक्तियुक्त/साधारण वनाने के लिए प्रयास किया गया था। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की दिनांक 22-10-90 की ग्रिधिसूचना संख्या 13026/2/90-स्था. (छुट्टी) द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधन/संवर्धन किए गए थे। ग्रिधिसूचना 26-1-91 को सा.का.नि. सं. 55 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। नियम 39घ में "यदि ऐसा ग्रन्तलंयन सरकार द्वारा लोक हित में घोषित किया गया है" शब्द दिनांक 26-1-91 की ग्रिधिसूचना जारी करते समय भूल से ग्रन्तःस्थापित कर दिए गए है। चूंकि पेंशन तथा पेंग्रन-

Ve -33001 /99

REGISTERED NO. D. L. 33001/90

Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिबार, मार्च 18, 2000/फाल्गुन 28, 1921

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 2000/PHALGUNA 28, 1921

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (1)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय क्ये खोड़कर) और केन्द्रीय क्षीधकारियों (संघ राज्य क्षत्र प्रकासनों को खोड़कर) हारा विधि के मन्तर्गत बनाए और चारी किये गये साधारण सांविधिक ितदम (विजनमें साधारण प्रकार के आवंत्र, उपनियम मादि सम्मितित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2000

सा.का.नि. 89 :--भारत के संविधान के श्रनुच्छेद $_{22}$ के खंड ($oldsymbol{z}$) के झनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्न-िखित ब्रादेश करते हैं ग्रथीत:--

कि फिल्टी उच्च न्यायालय के न्यायाधीण न्यायमूर्ति श्री ्री सम्बद्ध ता, जिल्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित था गया है दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मं अपनी रोवा अवधि के दौरान ग्रपने वेतन के ग्रतिरिक्त 600/- रु. (केवल व्वीस सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से तिप्रक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंग।

[संख्या के. 1017/3/99-यू. एस॰ II(i)] श्रीमती बाना बह्या, निदेशक (न्याय)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 10th February, 2000

G.S.R. 89 .- In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

That Shri Justice Bashir Ahmed Khan, Judge of the Delhi High Court, who has been transferred from the Madhya Pradesh High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 2600/- (Rupees two thousand and six hundred) per month, for the period of his service as a Judge of the Delhi High Court.

[No. K-11017/3/99-US-II(i)]

SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

(471)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2000

सा.का.नि. 90:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात:—

कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्याय-मूर्ति श्री रिव स्वरूप धवन, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अविध के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 3000/- रु. (केवल तीन हजार रुपय) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

> [संख्या के-11017/3/99-यू. एस. II(ii)] श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (त्याय)

New Delhi, the 10th February, 2000

G.S.R. 90.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

That Shri Justice Ravi Swaroop Dhavan, Chief Justice of the Patna High Court, who has been transferred from the Allahabad High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowances of Rs. 3000/- (Rupees three thousand) per month, for the period of his service as Chief Justice of the Patna High Court.

[No. K-11017/3/99-US-II(ii)] SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2000

सा.का.नि. 91: -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्न-लिखित आदेश करते हैं, अर्थात: --

कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य त्यायाधीण न्यायमूर्ति श्री देवदत्त माधव धर्माधिकारी, जिन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किया गया है, गुजरात उच्च न्याया-लय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ग्रपनी सेवा श्रवधि के दौरान श्रपने वेतन के ग्रतिरिक्त 3000/- रु. (केवल तीन हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

> [संख्या के-11017/3/99-यू. एस. II (iii)] श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

New Delhi, the 10th February, 2000

G.S.R. 91.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

That Shri Justice Devdatta Madhav Dharmadhikari,
Chief Justice of the Gujarat High Court, who has
been transferred from the Madhya Pradesh High
Court, shall be entitled to receive in
salary, a compensatory allowance of Rs. 3000/(Rupees three thousand) per month, for the period

of his service as Chief Justice of the Gujarat H

[No. K-11017/3/99-US-II(SMT. VEENA BRAHMA, Director (Just

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

(संसदीय राजभाषा समिति)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2000

सा.का.नि. 92 :—-राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 30 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुं हैं मंत्रालय, संसदीय राजभाषा समिति (समूह "क" अँ समूह "खँ पद) भर्ती नियम, 1993 का और संशोधन कले के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय संसदीय राजभाषा समिति (समूह "क" और समूह "व" पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2000 है-।
- (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्र_{ने} होंगे।
- 2 गृह मंत्रालय, संसदीय राजभाषा समिति (सः "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1993 की ग्रनुस् में,——
 - (1) वरिष्ठ ग्रनुसंधान ग्रधिकारी, ग्रवर सचिव, ग्रनुभाग संधान ग्रधिकारी, हिन्दी ग्रधिकारी, ग्रनुभाग ग्रधिकारी और ग्रनुसंधान सहायक के पदों में संबंधित कम संख्यांक 1 से 6 के सामने, स्तम्भ 11 और 12 के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" और "स्थानांतरण" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे ग्राते हैं, कमणः "प्रतिनियुक्ति" और "ग्रामेलन" शब्द रखे जाएंगे।
 - (2) वरिष्ठ ग्रनुसंधान ग्रधिकारी के पद संबंधित कम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 12 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, ग्रथित:——

"प्रतिनियुक्ति"

केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन ऐसे ग्रधिकारी:

(क) (1) जो नियमित ब्राधार पर सद्भ एव धारण किए हए है:

या

- (2) जिन्होंने 8000--13500 रु. के या सम-तुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या
- (3) जिन्होंने 6500-10500 रु. के या सम-तुल्य वेतनमान वाले पदों पर ग्राठ वर्ष नियमित सेवा की है।

- (ख) जिनके पास निम्नितिखित बैक्षिक स्रहेताएं और स्रनुभव है:
 - (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुत्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुख्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

वा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषयं के साथ किसी भी दिएय में मास्टर डिग्री या समत्त्य;

(2) जिनके पास सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित पांच वर्ष का ग्रनुभव है।

> (प्रतिनियुक्ति की ग्रविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी ग्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी ग्रन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की ग्रविध शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति डारा नियुक्ति के लिए ग्रधिकतम ग्रायु सीमा ग्रावेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी ।)"

(3) अवर सचिव के पद से संबंधित कम संख्यांक 2 के सामने, स्तम्भ 12 में, मद (क) और (ख), तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

'केन्द्रीय सरकार के ऐसे मधिकारी :

(क) (1) जो नियमित ग्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

- (2) जिन्होंने 8000-13500 ह. के या सम-तुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित क्षेत्रा की है: या
- (3) जिन्होंने 6500-10500 रु. के या सम-तुल्य बेतनमान वाले पदों पर ग्राठ वर्ष नियमित सेवा की है: और
- (ख) (1) जिनके पास सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित पांच वर्ष का अनुभव है, जिसके अंतर्गत प्रोटोकाल और सम्पर्क कार्य का अनुभव भी है।"
 - (4) अनुसंधान अधिकारी के पद से संबंधित कम संख्यांक 3 के सामने, विद्यमा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखि प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :---

प्रतिनियक्तिः

केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन ऐसे ग्रधिकारी,--

(क) (1) जो नियमित बाधार पर सदृश पद धारण किए हए हैं;

वा

- (2) जिन्होंने 5500-9000 ह. के या सम-तुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं, और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक ग्रर्हता और ग्रनुभव है:
 - (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्नी स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्नी या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुत्य।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समत्रत्य ।

सा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्नी स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्नी या समतुल्य,

- (2) सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तीन वर्ष का अनुभव।
 (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठी क पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य गढ पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारण-तया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)"
- हिन्दी ग्रधिकारी के पद से संबंधित कम संख्यांक 4 के सामने, स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, ग्रधीत् :—

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन ऐसे श्रधिकारी,---

(क) (1) जो नियमित ब्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं :

यं।

- (2) जिन्होंने 5500-9000 रु. के या सम-तुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (3) जिन्होंने 5000-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (4) जिन्होंने 4500-7000 रु. के या सम-तुल्य वेतनमान वाले पदों पर ग्रःठ वर्षः नियमित सेवा की हैं; ग्रांर
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित ग्रैक्षिक ग्रहेताएं ग्रीर ग्रनुभव है:

ग्रावश्यक:

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर श्रंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ श्रंगेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्रात विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिले माध्यम से श्रीर डिग्री स्तर पर प्रेथेश विषय के साथ किसी भी विषय में मास्त्र डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रिकेश माध्यम से ग्रीर डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य,

- (2) सरकार की राजभाषा नीति के वार्यालयन से संबंधित तीन वर्ष का अनुभार । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से क्षेक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, निधारण तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम अरायु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)"
- (6) अनुभाग अधिकारी के पद से संबंधित कम संख्यांक 5 के सामने, स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्न-लिखित प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्

प्रतिनियुक्ति :

क्वेन्द्रीय सरकार के ग्रधीन ऐसे ग्रधिकारी,---

- (क) (1) जी नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (2) जिन्होंने 5500-9000 रु. के या समतुत्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष निर्धामत सेवा की है; ग्रीर
- (ख) जिनके पास प्रशासन, लेखा और स्थापन कार्य से संबंधित तीन वर्ष का अनुभन है।
 (प्रितिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
 - (7) अनुसंधान सहायक के पद से संबंधित कम संख्यांक 6 के सामने, स्तम्भ 12 में,

या

विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, धर्यात् :---

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या
 - (ii) जिन्होंने 5000—8000 र. के या समतुख्य वेतनगान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है: या
 - (iii) जिन्होंने 4500---7000 रु. केया समतुह्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की हैं; या
 - (iv) जिन्होंने 4000---6000 रु. के या समतुस्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है: और

(ख) जिलके पास सरकार की राजभाषा नीति ने सम्बन्धित हिन्दी में टिप्पण और प्रारूपण संबंधी दो वर्ष का अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति की धवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगटन/बिभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सन्धारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त धरने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)"

(8) कम संख्यांक । से 6 के सामने, (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), स्तंभ 4 में वैतनमान से विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक के सामने दिणत येतनमान रखे जाएंगें, प्रधीत् —

क.स. पदकानाम	स्तंभ 4 में विद्यमान वेतनमान	स्तंभ 4 में प्रतिस्थापित किया जाने वाला पुनरीक्षित वेतनमान
1 2	3	4
1. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	3000-100-3500- 125-4500 €.	10,000-325-15,200 €.
2. ग्रवर सचिव	3000-100-3500- 125-4500 ह.	10,000-325-15,200 ₹.
 श्रनुसंधान श्रधिकारी 	2000-60-2300- द . रो75-3200-100-3500 ह.	6500-200-10,500 ह.
4. हिन्दी ग्रंधिकारी	2000-60-2300- द. रो75-3200-100-3500 ह.	6500-200-10,500 E.
 त्रनुभाग प्रश्चिकारी 	2000-60-2300- द. रो75-3 2 00-100-3500 ह.	6500-200-10,500 頁.
 श्रनुसंधान सहायक 	1640-60-2300- द . रो75-2900 ह .	5 5 0 0- 1 7 5- 9, 0 0 0 र .

[सं. 1/20012/10/98/राजभाषा/नीति-1] वृज मोहन सिंह नेगी, निदेशक

टिप्पण :--मूल नियम, भारत के राजपत्न में सा. का. नि. सं. 224, तारीख 22 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. सं. 542, तारीख 12 अक्तूबर, 1993 द्वारा उसमें संशोधन िलए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

(Committee of Parliament on Official Language)

New Delhi, the 3rd March, 2000

G.S.R. 92.—In exercise of the powers conferred by the proviso to artic'e 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2000 namely:—

- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Commi tee of Parliament on Official Language (Group 'A' and 'B' posts) (Amendment) Recruitment Rules, 2000.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'A' & 'B' Posts) Recruitment Rules, 1993:—
 - (1) Against serial numbers 1 to 6, relating to the posts of Senior Research Officer, Under Secretary, Research Officer. Hindi Officer, Section Officer and Research Assistant, in Columns 11 and 12, in the heading and entries relating thereto, for the words, "By Transfer on deputation" and "Transfer", wherever they occur, the words "Deputation" and "Absorption" shall respectively be substituted.
 - (2) Against serial number 1 relating to the post of Senior Research Officer, in column 12 for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

Deputation

Officers under the the Central Government:

(a)(i) Holding analogous posts on regular basis;

OR

- (ii) With five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000—13500 or equivalent; and
- (iii) With eight years' *segular service in posts in the scale of Rs. 6500-10500 or equivalent; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:
 - (i) Master's degree from a recognised university or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level;

OR

- Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level;
- (ii) Five years experience in implementation of Official Language policy of the Government.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government

- shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)
- (3) Against serial number 2 relating to the Post of under secretary, in column 12, for items (a) of the hard the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:
- (a) Officers of the Central Government:
 - (i) holding analogous posts on regular basis; OR
 - (ii) With five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000—13500 or equivalent: OR
 - (iii) With eight years regular service in rous in the scale of Rs. 6500—10500 or equivalent; and
 - (b)(i) Possessing five years experience in in the prentation of Official Language policy of the Greenman including experience in protocol and liaison took.
- (4) Against serial number 3 relating to the Research Officer, for the existing entries if ing entries shall be substituted, namely:

Deputation

- (a) Officer under the Central Government,—
 - (a)(i) holding analogous posts on regular basis;

OR

- (ii) With three years regular service in posts on the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; and
- (b) Possessing the following educational qualification and experience:
 - (i) Master's degree from a recognised university of equivalent in Hindi with English as a subject a degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with Hindi and English a subjects at degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with Hindi medium an English as a subject at the degree level.

OR

- Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with English medium an Hindi as a subject at the degree level.
- (ii) Three years experience implementation of Office Language Policy of the Government.
- (Period of deputation including period of deputation) another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)
- (5) Against serial number 4 relating to the post of Hindi Officer, in Column 12, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:

Deputation

- (a) Officers under the Central Government,—
 (a)(i) holding analogous posts on regular basis; OR
 - (ii) With three years regular service in posts in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; OR

S.

1

1. 2.

3. 4.

5. 6.

on

es

he

- (iii) With six years regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; OR
- (iv) With eight years regular service in posts in the scale of Rs. 4500-7000 or equivalent; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:
 - Essential: Master's degree from a recognised university or equivalent in Hindi with English as a subject at degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in English with Hindi as a Subject at degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at degree level.

OR

Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with Hindi medium and English as subjects at degree level.

OR

- Master's degree from a recognised university or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at degree level.
- (ii) Three years experience in implementation of Official Language Policy of the Government.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)
- (6) Against serial No. 5 relating to the post of Section Officer, in column 12, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

Deputation

Officers under the Central Government:

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis;
- (ii) With three years regular service in posts in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; and
- (b) Possessing three years experience of Administration, Accounts and Establishment work.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)
- (7) Against serial No. 6 relating to the post of Research Assistant, in column 12, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—
- (a) Officers under the Central Government:
 - (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or
 - (ii) With three years regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; OR
 - (iii) With six years regular service in posts in the scale of Rs. 4500-7000 or equivalent; OR
 - (iv) With ten years regular service in posts in the Scale of Rs. 4000-6000 or equivalent; and
- (b) possessing two years experience of noting and drafting in Hindi relevant to the Official Language Policy of the Government.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisatitn/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)
- (8) Against serial numbers 1 to 6 (both inclusive) in column 4, the existing entries Scale of Pay, shall be substituted, by the scale of pay shown against each in the table given below, namely:—

Davised Cools of Day to the

TABLE

S. No.	Name of Post	Existig Scale of Pay in column 3	substituted in column 4
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5.	Senior Research Officer Under Secretary Research Officer Hindi Officer Section Officer Research Assistant	Rs. 3000-100-3500-125-4500 Rs. 3000-100-3500-125-4500 Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 Rs. 1640-60-2300-EB-75-2900	Rs. 10,000-325-15,200 Rs. 10000-325-15,200 Rs. 6500-200-10,500 Rs. 6500-200-10,500 Rs. 6500-200-10,500 Rs. 5500-175-9000

[No. I/20012/10/98/OL/Policy-1] BRIJ MOHAN SINGH NEGI, Director

कृषि मेवालय

(पण्पालन श्रौर डेरी विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2000

सा. का. नि. 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि महालय, पशुपालन और डेरी विभाग उपायुक्त (भेड) भर्ती नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :--

- अक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम्भः——(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन श्रीर डेरी विभाग, उप-ग्रायुक्त (भेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 1999 है।
- (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2 पणुपालन श्रीर डेरी विभाग उप स्रायुक्त (भेड) भर्ती नियन, 1998 की स्रनुसुची में:---
 - (i) स्तम्भ 11 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, ग्रर्थातु:---

"भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्रामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रति-णतता ।

- (ii) स्तम्भ 11 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्निलिखत प्रविष्टि रखी जाएगी ग्रर्थात् :---"प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति (जिसके ग्रन्तर्गत ग्रल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।"
- (iii) स्तम्भ 12 में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:---"प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।
- (iv) स्तम्भ 12 के नीचे की प्रविष्टि में——

 "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" गव्दों के स्थान पर

 "प्रतिनियुक्ति" गव्द रखा जाएगा श्रौर "305€ 4500" श्रक्षर श्रौर श्रंकों के स्थान पर

 "10000-325-15200 क." श्रक्षर श्रौर श्रंक

रखे जाएंगे ।

[फाइल सं. ए-12018/1/95-प्रणा-[.] एल. सी. मेहरा, श्रवर सचिव

पाद टिप्पण :--मूल नियम सा.का.नि. सं. 78 तारीख 20 फरवरी, 1998 द्वारा प्रकाणित किए गएथे। MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 24th February, 2000

G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, (Sheep) Recruitment Rules. 1998, namely:

- 1. (1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry and Dairying, Deputy Commissioner (Sheep) Recruitment Rules, 1999.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Schedule to the Department of Animal Husbandry and Dairying, Deputy Commissioner (Sheep) Recruitment Rules, 1998,

- (i) in column 11, for the heading, the following heading shall be substituted namely:—
 - "Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the posts to be filled by various methods".
- (ii) under Column 11 for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "Promotion|Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment".
- (iii) In Column 12, for the heading the following heading shall be substituted namely:—
 "In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made".
- (iv) under Column 12, in the entry, for the words "Transfer on deputation" the words "Deputation" shall be substituted and for letters and figures "Rs. 3000-4500" the letters and figures "Rs. 10,000-325-15.000" shall be substituted.

[F. No. A.12018|1|95-Admn. I]L. C. MAHRRA, Under Secy-

Foot-note—The principal rules were published vide No GSR 78 dated the 20th February, 1998. हुए का वि

भाग <u>।</u>

(समः

• 0

कोत

वह ग्रादे

डाले सुचि

है।

(1)

सहा

प्रशा

ग्रधि

663 (

क्यारवरीक कर्या भीत करावर होर उसी केंद्र

महे किस्त्री, उ कार्च, 2000

की का वि २५—राष्ट्रपति, कविकान के बमुख्योद १८४७ के परंदुक द्वारा प्रदल्त वाक्तियों का प्रयोग करते हुए बचाएमारिक अर्था जीन संशासर के कौए अर्था केंद्र में तपूर य राप्यपतित बमुसांक्शोद तथों पर सती को प्रदर्शि य विकास करने के लिए निरम्मीयिक विदय करते हैं, द्वारी :--

- : केकिन साम और आरंप --(1) इन विश्वमों का संक्षिण नाम और उन्नों केन्द्र प्रधारम्परिक उन्नों स्रोत महातन्न जन्म क रहा काले कियम 1949 है
 - १ ११ वे राज्यत वे दकाजम को जारीय को दक्त होये।
 - े कार् होना —हे नियम इससे उराबद्ध प्रमुखी के लाग्य । वे बिलिट्स पर की तार्य होते।
- उस संस्था वर्गीकरणे और वेतनसाम ——उक्ता वर्गा को कंदगा उसका बर्गीकरण स्रौर उसके वेतनसाम वे होंगे, जो उक्ता समुम्ला के लाक (४) में त्वांग (४) में विर्णाणिय हैं।
- मार्ग को ग्राहिः चारु-तोक्तः क्षेत्र बहुंगाएं बारिः :---उक्त प्रशे पर मार्ग को प्रश्नांत, बारु-कोबा, बहुंगाएं बीर उनके
 मार्ग का के होगी को उक्त कसुनुकी के स्तंत्र (3) से स्तंत्र (14) में विविधिक्य है।
 - ५ निर्णाता —माध्यक्ति
 - (व) विगरे ऐने व्यक्ति ने, विग्रका पति या क्रिको पत्नी बोरित है विशह किया है, या
 - (क) किसमें बारने पति या बापनों पत्नों ने कोवित एहते हुए किसी व्यक्ति से विदाह किया है :

एका यह पर सियुक्ति का श्रांत गरी है थि।

ररन्तु यदि केलीय करकार का बहु समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को तायु स्थीय विधि के ब्राधीन वेस्कुलेय है बीर ऐसा करने ने सिए अन्य बाधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के उन्नोंन ने हुंट दे सकेसी

- त्रांथित करने को लॉक्त :--जहां केन्द्रोय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवस्थक या समीचीत है, वहां यह उसके लिए जो बारण है जन्हें नेखकड़ करके हैंने किदनों के किसी उपरंध को किसी वर्ष वा प्रवर्ष कि व्यक्तियों की बावत बालेज हाल लिकिन कर सकेंगी।
- ं व्याहोंने —हन नियमों को कोई बोत होने यारक्षण, प्रायु-सीमा ने सुट भौर प्रन्य रियायकों पर प्रभाव नहीं बालेगों, किनका केखीय तरकार प्रीरा इस सर्वेश में सम्बग्नसम्य पर निकाने गए भावेकों के प्रमुक्तार मनुसूचित जातियों, मनु-सूचिन जनवीतियों प्राय रिजाडे करीं. मानपूर्व सीविकों प्रोर मान्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के निए उपक्रेश करना धरीक्षित

क्ष ानुस्थ ी						
त्य के सम	यहाँ की क्षेत्र	वर्गकरम	27647	च्यक्तसह- ज्येष्ठता या योध्यक्त ने श्राक्षार पर च्यक्त प्रथया प्रच्यक्त पर	तीचे भर्ती किए जाने वाने व्यक्तियों के निए प्राप्-तीमा	तेवा में जोड़े गए वर्षों का कायदा प्रमुजेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
न्ह्यान उद्यासीसम् प्रतिकारी	1* (1999) **straint & straint of straint of chart of ear of eart of	नाकारण केल्क्ट्रेड नेश सम्बद्ध खें राज्यकि ने प्रस्तृ शक्क्ट्रेड	6500- 200- 10500 \$	स्यम-सह- ल्येकशा	नाय् यही होता	नायू नहीं होता